Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांक- 3871/33-1 /दिनांक, झांसी, मई 1 2017

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
जालौन सा0वा0 प्रभाग
उरई।

विषय- 400 के0वी0 डी0सी0-उरई (यू0पी0पी0टी0सी0एल0) पैकेज टी0ई0 06 पारेषण लाईन निर्माण में जालौन वन प्रभाग की प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 0.184 हे0 एवं मार्ग पटरियों पर खडे प्रभावित 31 वृक्षों की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनतर्गत अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में एवं 765 के0वी0 डी0सी0 उरई-अलीगढ प्रस्ताव नं0 एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांन्स0/21318/2016।

संदर्भ- उप वन संरक्षक जालौन सा0वा0 प्रभाग उरई का पत्रांक 2851/33-1 दिंनाक 29.04.2017 एवं 2852/33-1 दिनांक 29.04.2017।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावों को प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 01.05.2017 को चार प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावों के परीक्षण में निम्न कमियां पायी गई।

1. प्रस्तावों के प्रारम्भ में विषय सूची व पेज नं0 अंकित नहीं है।
2. प्रस्तावों के भाग क में दिनांक अंकित नहीं है।
3. के0एम0एल0/एस0एच0पी0 फाईल की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
4. प्रस्तावों में कई जगह उप प्रभागीय वनाधिकारी की मुहर लगी हुई है लेकिन हस्ताक्षर नहीं है।
5. प्रस्तावों के भाग-3 जो वन संरक्षक झांसी द्वारा भरा जाना है इस फार्म में तीन-चार मुहर लगीं है व हस्ताक्षर कटे हुये है। यह प्रपत्र खाली होना चाहिये खाली प्रपत्र संलग्न है।
6. इन प्रस्तावों में 400 के0वी0 उरई-उरई य0पी0 पी0टी0सी0एल0 ट्रान्समीशन लाईन में प्रभावित वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल को जोडकर 1.00 हे0 वृक्षारोपण/अनुरक्षण का व्यय प्राक्कलन लगाया गया है तथा 765 के0वी0 के प्रस्ताव में भी यही व्यय अनुमान पत्र लगाया गया है। अलग-अलग प्रस्तावों में प्रभावित वन भूमि का व्यय प्राक्कलन लगाया जायें।

उपरोक्त कमियों का निराकरण कर भली भांति चैक करके पूर्ण प्रस्ताव नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया जाये।

संलग्नक - उपरोक्त विषयक दोनो प्रस्ताव 4-4 प्रतियों में मूल में आपके विभाग के माध्यम से।

01.5.2017

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी

पृष्ठांकन संख्या- / समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, उप कैन्द्र/पारेषण लाईन निर्माण, निकट कालपी बस स्टेन्ड उरई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.5.2017

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी

May_17_sttl.